

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु आवेदिका की माता का स्वघोषणा पत्र

आवेदन प्रपत्र के कंडिका-3 का iii के आलोक में।

(माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा)

मैं (आवेदिका की माता) पिता-..... ग्राम-.....

प्रखण्डथाना- जिला -.....

की निवासी हूँ। मैं स्वअभिप्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनान्तर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री (आवेदिका का नाम) प्रथम/द्वितीय पुत्री है। मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है, किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊँगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

आवेदिका की माता का हस्ताक्षर